जेसी हाउसिंग प्रा. लिमिटेड एवं अन्य
बनाम
रजिस्ट्रार (जनरल), उड़ीसा उच्च न्यायालय, कटक एवं अन्य

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार
सिविल अपील सं. 2022 का 687
साथ
सिविल अपील सं. 2022 का 6878
साथ
सिविल अपील सं. 2022 का 6877
19 अक्टूबर, 2022 को

श्री एमआर शाह, श्रीएमएम सुंदरेश, न्यायाधीशगण

सुश्री उत्तरा बब्बर, अपीलकर्ताओं के लिए.

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया; श्री एमआर शाह, न्यायाधीश

1. संबंधित रिट याचिकाओं में कटक में उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 12.04.2022 के आक्षेपित आम निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर, जिसके द्वारा, उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने संबंधित रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिसमें यहां अपीलकर्ता – मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने 13.11.2020 की एक अधिसूचना को चुनौती दी, जो ओडिशा राज्य द्वारा अपने प्रमुख सचिव, कानून विभाग के माध्यम से सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के न्यायालय को अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजनों के लिए वाणिज्यिक न्यायालयों के रूप में स्थापित करने के लिए जारी की गई थी, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के तहत, मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

2. ओडिशा सिविल न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 10 और वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 30 (इसके बाद इसे अधिनियम, 2015 के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के साथ पठित धारा 3 और धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए), राज्य सरकार ने उड़ीसा उच्च न्यायालय की सिफारिश पर और उसके परामर्श के बाद अधिनियम, 2015 के तहत अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजनों के लिए सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के न्यायालयों को वाणिज्यिक न्यायालयों के रूप में स्थापित किया है।

2.1 मूल रिट याचिकाकर्ताओं – यहां अपीलकर्ताओं ने शुरू में विद्वान जिला न्यायाधीश की अदालत में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के रूप में संदर्भित) की धारा 34 के तहत कार्यवाही दायर की। हालाँकि, उपरोक्त अधिसूचना के तहत वाणिज्यिक न्यायालयों की स्थापना पर, उक्त कार्यवाही को वाणिज्यिक न्यायालय यानी, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के न्यायालय [वाणिज्यिक न्यायालय के रूप में नामित] में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसलिए, अपीलकर्ताओं ने वर्तमान रिट याचिकाओं के माध्यम से उपरोक्त अधिसूचना और अधिनियम, 2015 के तहत सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालतों को वाणिज्यिक अदालतों के रूप में नामित करने को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी। यह अपीलकर्ताओं – मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से मामला था कि सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालतों को वाणिज्यिक अदालतों के रूप में गठित करना और/या नामित करना और वाणिज्यिक अदालत अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करना मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के धारा 2(1)(ई) के प्रावधानों के साथ टकराव होगा। अपीलकर्ताओं की ओर से यह मामला था कि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 2(1)(ई) के तहत, केवल मूल क्षेत्राधिकार का प्रधान सिविल न्यायालय मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के तहत विवादों का निर्णय करने के उद्देश्य से एक जिला (प्रधान जिला न्यायाधीश का न्यायालय) "न्यायालय"होगा और मध्यस्थता के मामले में इसमें ऐसे प्रधान जिला न्यायाधीश से निम्न श्रेणी का कोई भी सिविल न्यायालय शामिल नहीं है। इसलिए, अपीलकर्ताओं की ओर से यह मामला था कि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के तहत कार्यवाही सहित वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत को अधिकार क्षेत्र प्रदान करना धारा 2(1)(ई) मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के विपरीत होगा, जो विशेष अधिनियम है। आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया है जिसने वर्तमान अपीलों को जन्म दिया है।

3. सुश्री उत्तरा बब्बर, विद्वान वकील संबंधित अपीलकर्ताओं – मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित हुई हैं और श्री गौरव अग्रवाल, विद्वान वकील न्यायालय द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी के रूप में उपस्थित हुए हैं।

3.1 अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील सुश्री बब्बर ने दृढ़तापूर्वक प्रस्तुत किया है कि अधिनियम, 2015 कीधारा 3 और मध्यस्थता अधिनियम, 1996 कीधारा 2(1)(ई) केबीच विरोधाभास है। यह प्रस्तुत किया गया है किधारा 2(1)(ई), मध्यस्थता अधिनियम, 1996 में प्रावधान है कि अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के अलावा किसी अन्य मध्यस्थता के मामले में एक जिले में मूल क्षेत्राधिकार का प्रधान सिविल न्यायालय "न्यायालय"होगा।यह प्रस्तुत किया गया है कि मध्यस्थता अधिनियम, 1996

कीधारा 2(1)(ई)विशेष रूप से प्रदान करती है कि इसमें ऐसे प्रधान सिविल न्यायालय से निम्न श्रेणी का कोई भी सिविल न्यायालय शामिल नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया है कि इसलिए, मध्यस्थता अधिनियम, 1996 कीधारा 2(1)(ई)(i) के तहत, प्रधान सिविल न्यायालय से निचली सभी अदालतों को बाहर रखा गया है।यह प्रस्तुत किया गया है कि जहां भी किसी आवेदन को "अदालत" (वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के तहत) में जाना है, उसे प्रधान सिविल न्यायालय में जाना चाहिए और सभी निचली अदालतों के क्षेत्राधिकार को बाहर रखा गया है।

3.2 यह प्रस्तुत किया गया है कि जब अधिनियम, 2015 की धारा 3 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 9, 14, 34 के तहत आवेदन सुनने का अधिकार क्षेत्र, वाणिज्यिक अदालतों को प्रदान किया जाता है जो जिले में प्रधान सिविल मूल क्षेत्राधिकार के न्यायालय के अधीनस्थ हैं, जो मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 2(1)(ई) के प्रावधानों के साथ स्पष्ट विरोधाभास है।

3.3 अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील सुश्री बब्बर ने आगे कहा है कि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 कीधारा 2(1)(ई)के तहत "न्यायालय"जिले की सर्वोच्च अदालत है और इस तरह विधायिका का उद्देश्य मध्यस्थता प्रक्रिया में अदालतों की पर्यवेक्षी भूमिका को कम करना है। महाराष्ट्र राज्य और अन्य बनाम एटलानाटा लिमिटेड;(2014) 11 एससीसी 619 और पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य बनाम संबद्ध ठेकेदार; (2015) 1 एससीसी 32 के मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों पर निर्भरता रखी गई है ।

3.4 अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील सुश्री बब्बर द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की तुलना में एक विशेष क़ानून होने के नाते, मामले में वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम पर प्रबल होगा। फ़्यूरस्ट डे लॉसन लिमिटेड बनाम के मामलों में इस न्यायालय द्वारा आयोजित कोई भी संघर्ष। जिंदल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड; (2011) 8 एससीसी 333 और कांडला एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन और अन्य। बनाम ओसीआई कॉर्पोरेशन और अन्य; (2018) 14 एससीसी 715, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम लागू होगा।

3.4 अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील सुश्री बब्बर ने आगे कहा है कि मध्यस्थता औरसुलह अधिनियम, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के लिए एक विशेष क़ानून होने के नाते, किसी भी संघर्ष के मामले में वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम पर हावी होगा। इस न्यायालय द्वारा फ़्यूरस्ट डे लॉसन लिमिटेड बनाम जिंदल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड; (2011) 8 एससीसी 333 और कांडला एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन

और अन्य बनाम ओसीआई कॉर्पोरेशन और अन्य; (2018) 14 एससीसी 715,के मामलों मेंमध्यस्थता और सुलह अधिनियमलागू होगा।

3.5 आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय एक गलत आधार पर आगे बढ़ा है कि मध्यस्थता औरसुलह अधिनियम कोवाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के अधीन होना चाहिए क्योंकि दोनों विशेष क़ानून हैं, और वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम बाद का क़ानून है। यह प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त इस न्यायालय के उपरोक्त दो निर्णयों के विपरीत है। यह प्रस्तुत किया गया है कि जैसा कि फ़्यूरस्ट डे लॉसन लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय द्वारा देखा और माना गया है, मध्यस्थता अधिनियमएक स्व–निहित कोड और संपूर्ण है और इसलिए, वही वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के एकविशेष अधिनियमहोने पर लागू होगा । आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि कांडला एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय के फैसले को बाद में बीजीएस एसजीएस सोमा जेवी बनाम एनएचपीसी लिमिटेड; (2020) 4 एससीसी 234 के मामले में तीन माननीय न्यायाधीशों की पीठ द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि उक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना है कि मध्यस्थताअधिनियमएक पूर्ण संहिता और एकविशेष अधिनियमहै जो वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम सहित सामान्य कानून को बाहर करता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि इसलिए सामान्य आक्षेपित निर्णय और आदेश में उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कांडला एक्सपोर्ट्स कॉरपोरेशन (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय और यहां ऊपर उल्लिखित एक अन्य निर्णय के बिल्कुल विपरीत है।

3.6 अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील सुश्री बब्बर ने आगे कहा कि मध्यस्थताअधिनियमका उद्देश्य मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करना है जिसमें अदालत का हस्तक्षेप कम से कम हो। यदि सिविल जज (सीनियर डिवीजन) को वाणिज्यिक न्यायालय के रूप में नामित किया जाता है, तो जिला जज द्वारा अपील के निपटान के बाद भी वादी कोअनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय में एक और चुनौती प्रदान की जाएगी, जो शीघ्र निपटान के उद्देश्य को विफल कर देगी। कांडला एक्सपोर्ट्स कॉरपोरेशन (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय के फैसले के पैरा 27 पर निर्भरता रखी गई है।

3.7 अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील सुश्री बब्बर ने बताया है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों के विचारों में विरोधाभास है। यह प्रस्तुत किया गया है कि गुजरात उच्च न्यायालय और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह विचार रखा है कि मध्यस्थताअधिनियमवाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम पर हावी होगा और दूसरी ओर बॉम्बे उच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय और उड़ीसा उच्च न्यायालय ने इसके विपरीत दृष्टिकोण अपनाया है।

3.8 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, यह घोषित करने और मानने की प्रार्थना की जाती है कि ओडिशा राज्य द्वारा जारी अधिसूचना वाणिज्यिक न्यायालय – सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत को शक्तियों का प्रयोग करने की शक्तियाँ प्रदान करती है, वाणिज्यिक न्यायालय मध्यस्थता विवादों के संबंध में अधिनियम को अवैध, कानून में खराब हैं और परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय द्वारा पारित सामान्य निर्णय और आदेश को रद्द कर देना चाहिये।

4. विद्वान वकील और न्याय मित्र श्री गौरव अग्रवाल ने हमें वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के अधिनियमन और उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक न्यायालयों, वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग की स्थापना के उद्देश्य और उद्देश्य के बारे में बताया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम और वाणिज्यिक न्यायालयों की स्थापना उच्च मूल्य वाले विवादों/वाणिज्यिक विवादों के शीघ्र निपटान की सुविधा के उद्देश्य से है। यह प्रस्तुत किया गया है कि वाणिज्यिक विवादों के शीघ्र निपटान के उद्देश्य को प्राप्त करने की दृष्टि से, विधायिका ने वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 अधिनियमित किया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 3 के तहत, एक वाणिज्यिक न्यायालय हो सकता है वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 3ए के तहत एक वाणिज्यिक अपीलीय न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। यह प्रस्तुत किया गया है कि मध्यस्थता से संबंधित विवाद वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 2 (सी) के तहत एक वाणिज्यिक विवाद है। प्रस्तुत किया गया है कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 10 मध्यस्थता मामलों के संबंध में एक विशेष प्रावधान है।यह प्रस्तुत किया गया है कि धारा 10 की उपधारा (3) के अनुसार, यदि मध्यस्थता एक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के अलावा अन्य है, तो मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधानों के तहत ऐसी मध्यस्थता से उत्पन्न होने वाले सभी आवेदन या अपीलेंजोआमतौर पर किसी भी प्रमुख सिविल अदालत के समक्ष होंगी। किसी जिले में मूल क्षेत्राधिकार के मामले को ऐसे मध्यस्थता पर क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार का उपयोग करने वाले वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा दायर किया जाएगा और सुना और निपटाया जाएगा जहां ऐसे वाणिज्यिक न्यायालय का गठन किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम – एक बाद का अधिनियम है और वाणिज्यिक विवादों के शीघ्र निपटान के लिए एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए अधिनियमित किया गया है, वही मान्य होगा। यह प्रस्तुत किया गया है कि जब विधायिका ने बाद के अधिनियम में अपने विवेक से वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 10 की उपधारा (3) के अनुसार विशेष रूप से प्रदान किया है कि अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के अलावामध्यस्थता अधिनियमसे उत्पन्न होने वाले सभी आवेदन/अपीलें वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा सुनवाई

और निपटान किया जाएगा, वही मान्य होगा। यह प्रस्तुत किया गया है कि यदि अपीलकर्ताओं की ओर से की गई दलीलें स्वीकार कर ली जाती हैं तो उस स्थिति मेंधारा 10 बेकार या निरर्थक और/या बेकार हो जाएगी। यह प्रस्तुत किया गया है कि इसलिए, यह अनुरोध किया जाता है कि ऐसी व्याख्या न की जाए जिसके परिणामस्वरूप अधिनियम का कोई भी प्रावधान निरर्थक और/या बेकार हो।

4.1 अब जहां तक कांडला एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर निर्भरता का सवाल है, यह दृढ़ता से प्रस्तुत किया गया है कि उक्त निर्णय का मतलब यह नहीं है कि मध्यस्थता अधिनियमके सभी प्रावधान वाणिज्यिक न्यायालय पर किसी भी संघर्ष और असंगति की स्थिति में लागू होंगे।

4.2 यह प्रस्तुत किया गया है कि इसी तरह बीजीएस एसजीएस सोमा जेवी (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा, यह प्रस्तुत किया गया है कि उक्त निर्णय में यह माना जाता है कि धारा 13(1) वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम अपील का स्वतंत्र अधिकार प्रदान नहीं करता है, बल्कि केवल अपील दायर करने का मंच प्रदान करता है।

4.3 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपीलों को खारिज कर दिया जाए और यह माना जाए कि वर्तमान मामले में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना वाणिज्यिक न्यायालय – सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत को वाणिज्यिक अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करने की शक्तियाँ प्रदान करती है, न तो अवैध है और न ही कानून की दृष्टि से बुरा है।

5. हमने अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील सुश्री उत्तरा बब्बर और विद्वान न्याय मित्र श्री गौरव अग्रवाल को सुना है।

6. वर्तमान अपील में विचार के लिए उठने वाला कानून का प्रश्न यह है कि क्या वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 3 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार मध्यस्थता औरसुलह अधिनियम, 1996, कीधारा 9, 14 और 34 के तहत आवेदनों की सुनवाई के लिए वाणिज्यिक न्यायालयों पर, जो जिले में प्रधान सिविल न्यायाधीश के पद के अधीनस्थ हैं, क्षेत्राधिकार प्रदान कर सकती है जोमध्यस्थता अधिनियम कीधारा 2(1)(ई) के प्रावधानों के विपरीत है?

7. कानून के उपरोक्त प्रश्न पर विचार करते समय, मध्यस्थता अधिनियम, 1996 और वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के प्रासंगिक प्रावधानों को संदर्भित और विचार किया जाना आवश्यक है, और मध्यस्थता अधिनियम कीधारा 2(1)(ई)और वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 कि धाराएं 3, 10, 15 और 21, जो इस प्रकार हैं:

<u>"मध्यस्थता अधिनियम, 1996 कीधारा 2(1)(ई) :</u>

(ई) "न्यायालय"का अर्थ है –

(i) अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के अलावा किसी अन्य मध्यस्थता के मामले में, एक जिले में मूल क्षेत्राधिकार का प्रमुख सिविल न्यायालय, और इसमें अपने सामान्य मूल नागरिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाला उच्च न्यायालय भी शामिल है, जिसके पास विषय वस्तु बनाने वाले प्रश्नों को तय करने का क्षेत्राधिकार है। मध्यस्थता, यदि वह किसी मुकदमे का विषय रहा हो, लेकिन इसमें ऐसे प्रमुख सिविल न्यायालय से निम्न श्रेणी का कोई भी सिविल न्यायालय, या लघु वाद न्यायालय शामिल नहीं है;

(ii) अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के मामले में, उच्च न्यायालय अपने सामान्य मूल नागरिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, मध्यस्थता की विषय–वस्तु बनाने वाले प्रश्नों को तय करने का अधिकार क्षेत्र रखता है, यदि वह किसी मुकदमे का विषय–वस्तु रहा हो, और अन्य मामलों में, एक उच्च न्यायालय को सुनवाई का अधिकार क्षेत्र उस उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों के डिक्री से प्रतीत होता है"

<u>वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 3, 10, 15 और 21:</u>

3. वाणिज्यिक न्यायालयों का गठन– (1) राज्य सरकार, संबंधित उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद, अधिसूचना द्वारा, जिला स्तर पर उतनी संख्या में वाणिज्यिक न्यायालयों का गठन कर सकती है, जितनी वह प्रदत्त क्षेत्राधिकार और शक्तियों का प्रयोग इस अधिनियम के अंतर्गत उन न्यायालयों पर करने के उद्देश्य से आवश्यक समझे।:

बशर्ते कि सामान्य मूल नागरिक क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालयों के संबंध में, राज्य सरकार, संबंधित उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद, अधिसूचना द्वारा, जिला न्यायाधीश स्तर पर वाणिज्यिक न्यायालयों का गठन कर सकती है:

बशर्ते कि उस क्षेत्र के संबंध में जिस पर उच्च न्यायालयों के पास सामान्य मूल नागरिक क्षेत्राधिकार है, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसा आर्थिक मूल्य निर्दिष्ट कर सकती है जो तीन लाख रुपये से कम नहीं होगा

और जिला न्यायालयों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले आर्थिक क्षेत्राधिकार से अधिक नहीं होगा, जैसा कि वह आवश्यक समझे।]

(1ए) इस अधिनियम में किसी बात के बावजूद, राज्य सरकार, संबंधित उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद, अधिसूचना द्वारा, ऐसे आर्थिक मूल्य को निर्दिष्ट कर सकती है जो पूरे राज्य या उसके हिस्से के लिए तीन लाख रुपये या इससे अधिक मूल्य से कम नहीं होगा, जैसा कि वह आवश्यक समझे।]

(2) राज्य सरकार, संबंधित उच्च न्यायालय के साथ परामर्श के बाद, अधिसूचना द्वारा, उस क्षेत्र की स्थानीय सीमाएं निर्दिष्ट करेगी, जिस तक वाणिज्यिक न्यायालय का अधिकार क्षेत्र विस्तारित होगा और समय–समय पर ऐसी सीमाओं को समयबद्ध करना, बढ़ाना, घटाना या बदलना हो सकता है।

(3) [राज्य सरकार], उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से, वाणिज्यिक विवादों से निपटने में अनुभव रखने वाले एक या एक से अधिक व्यक्तियों को [वाणिज्यिक न्यायालय जिला न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश के स्तर से नीचे का न्यायालय] के स्तर पर, न्यायाधीश या न्यायाधीशो, नियुक्त कर सकती है।

10. मध्यस्थता मामलों के संबंध में क्षेत्राधिकार – जहां मध्यस्थता का विषय एक निर्दिष्ट मूल्य का वाणिज्यिक विवाद है और –

(1) यदि ऐसी मध्यस्थता एक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता है, तो ऐसे मध्यस्थता से उत्पन्न होने वाले सभी आवेदन या अपील के प्रावधानों के तहत मध्यस्थता औरसुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) जो उच्च न्यायालय में दायर किए गए हैं, उनकी सुनवाई और निपटान वाणिज्यिक प्रभाग द्वारा किया जाएगा जहां ऐसे उच्च न्यायालय में ऐसे वाणिज्यिक प्रभाग का गठन किया गया है।

(2) यदि ऐसी मध्यस्थता अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के अलावा है, तो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) के प्रावधानों के तहत ऐसी मध्यस्थता से उत्पन्न होने वाले सभी आवेदन या अपीलें जो उच्च न्यायालय के मूल पक्ष में दायर की गई हैं, वाणिज्यिक प्रभाग द्वारा सुनवाई और निपटान किया जाएगा जहां ऐसे उच्च न्यायालय में वाणिज्यिक प्रभाग का गठन किया गया है।

(3) यदि ऐसी मध्यस्थता एक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के अलावा है, तो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) के प्रावधानों के तहत ऐसी मध्यस्थता से उत्पन्न होने वाले सभी आवेदन या अपीलें जो आम तौर पर किसी जिले में मूल क्षेत्राधिकार के प्रमुख सिविल न्यायालय (जो कि उच्च न्यायालय नहीं है)के समक्ष होते है, को ऐसे मध्यस्थता पर क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार का उपयोग करने वाले

वाणिज्यिक न्यायालय मे द्वारा दायर किया जाएगा और सुना और निपटाया जाएगा जहां ऐसे वाणिज्यिक न्यायालय का गठन किया गया है।

15. लंबित मामलों का स्थानांतरण–

(1) सभी मुकदमे और आवेदन, जिनमें मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) के तहत आवेदन शामिल हैं, एक निर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद से संबंधित उच्च न्यायालय जहां एक वाणिज्यिक प्रभाग है का गठन किया गया है, में लंबित हैंवाणिज्यिक प्रभाग को हस्तांतरित किया जाएगा।

(2) सभी मुकदमे और आवेदन, जिनमें मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) के तहत आवेदन शामिल हैं, जो किसी भी जिले या क्षेत्र के किसी भी व्यवहार न्यायालय में लंबित एक निर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद से संबंधित हैं, जिसके संबंध में एक वाणिज्यिक न्यायालय का गठन किया गया है, ऐसे वाणिज्यिक न्यायालय को हस्तांतरित किया जाएगा:

बशर्ते कि कोई भी मुकदमा या आवेदन जहां वाणिज्यिक डिवीजन या वाणिज्यिक न्यायालय के गठन से पहले अदालत द्वारा अंतिम निर्णय आरक्षित किया गया हो, उसे उपधारा (1) या उपधारा (2) के तहत स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

(3) जहां निर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद से संबंधित कोई भी मुकदमा या आवेदन, जिसमें मध्यस्थता औरसुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) के तहत एक आवेदन भी शामिल है, उपधारा (1) या उपधारा (2) के तहत वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, इस अधिनियम के प्रावधान उन प्रक्रियाओं पर लागू होंगे जो स्थानांतरण के समय पूरी नहीं थीं।

(4) वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक न्यायालय, जैसा भी मामला हो, ऐसे स्थानांतरित मुकदमे या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के [आदेश XVA के साथ] के अनुसार **जो ऐसे मुकदमे या आवेदन** शीघ्र और प्रभावी निपटान के लिए आवश्यक हो सकते हैं,आवेदन के संबंध में नई समयसीमा निर्धारित करने या ऐसे अतिरिक्त निर्देश जारी करने के लिए मामले की प्रबंधन सुनवाई आयोजित कर सकता है।

बशर्ते कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के आदेश V के नियम 1 के उपनियम (1) का प्रावधान ऐसे स्थानांतरित मुकदमे या आवेदन पर लागू नहीं होगा और अदालत अपने विवेक से, एक नया समय निर्धारित कर सकती है। वह अवधि जिसके भीतर लिखित बयान दाखिल किया जाएगा।

(5) इस स्थिति में कि ऐसा मुकदमा या आवेदन उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट तरीके से स्थानांतरित नहीं किया जाता है, उच्च न्यायालय का वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग, इनमें से किसी मुकदमे के पक्षकार के आवेदन पर, ऐसे मुकदमे या आवेदन को उस अदालत से वापस ले लेंगे जिसके समक्ष वह लंबित है और उसे परीक्षण या निपटान के लिए वाणिज्यिक डिवीजन या वाणिज्यिक न्यायालय में स्थानांतरित कर देंगे, जैसा भी मामला हो, जिसके पास ऐसे मुकदमे पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र हो, और ऐसे स्थानांतरण का आदेश अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

21. अधिनियम का अध्यारोधी प्रभाव होना– इस अधिनियम के उपबंध, जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, तत्समय प्रबृत किसी अन्य विधि के या इस अधिनियम से भिन्न तत्समय प्रबृत किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

8. अधिनियम, 1996 की धारा 2(1)(ई)पर भरोसा करते हुए अपीलकर्ताओं की ओर से यह मामला है कि अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के अलावा अन्य मध्यस्थता के मामले में, केवल एक जिले में मूल क्षेत्राधिकार का प्रमुख सिविल न्यायालय मध्यस्थता की विषय–वस्तु बनाने वाले प्रश्नों पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र है, लेकिन इसमें ऐसे प्रमुख सिविल न्यायालय से निम्न श्रेणी का कोई भी सिविल न्यायालय, या लघु वाद न्यायालय शामिल नहीं है। इसलिए, अपीलकर्ताओं की ओर से यह मामला है कि अधिनियम, 1996 की धारा 9, 14 और 34 के तहत आवेदनों की सुनवाई के लिए विद्वान सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत को वाणिज्यिक न्यायालय के रूप में अधिकार क्षेत्र प्रदान करना सीधेतौरपरविरोधाभासीहोगा।अधिनियम, 1996 कीधारा 2(1)(ई)के साथ और इसलिए राज्य सरकार की अधिसूचना कानून में बुरा होगा जो विद्वान सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) के न्यायालय को ऐसी शक्तियां प्रदान करती है जो एक जिले में प्रधान सिविल न्यायाधीश के पद के अधीनस्थ है।

9. उपरोक्त मुद्दे/प्रश्न पर विचार करते समय, सबसे पहले, वाणिज्यिक न्यायालयों की स्थापना के उद्देश्य और उद्देश्य और वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के अधिनियमन पर विचार करना होगा।

9.1 वर्ष 2003 में, भारत के विधि आयोग ने उच्च मूल्य वाले वाणिज्यिक विवादों के तेजी से निपटान की सुविधा के लिए स्वत: संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालयों में वाणिज्यिक प्रभागों के गठन का मुद्दा उठाया। अपनी 188 वीं रिपोर्ट में, विधि आयोग ने यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, सिंगापुर आदि में वाणिज्यिक न्यायालयों का गहन अध्ययन करने के बाद, उच्च आर्थिक मूल्य के वाणिज्यिक मामलों में तेजी लाने के लिए प्रत्येक उच्च न्यायालय में वाणिज्यिक प्रभाग स्थापित करने की सिफारिश की।

9.2 विधि आयोग की उपरोक्त सिफारिशों के आधार पर, उच्च न्यायालयों में वाणिज्यिक प्रभाग स्थापित करने के लिए 16.12.2009 को लोकसभा में एक विधेयक पेश किया गया और 18.12.2009 को पारित किया गया। विधेयक को एक प्रवर समिति को भेजा गया जिसने उक्त विधेयक में कुछ संशोधनों का सुझाव दिया। विधेयक को दोबारा तैयार किया गया और विचार के लिए राज्यसभा के समक्ष रखा गया। हालाँकि, इसे सरकार द्वारा वापस ले लिया गया और उसके बाद मामला फिर से रिपोर्ट के लिए विधि आयोग को भेजा गया। विधि आयोग ने जनवरी, 2015 में प्रस्तुत अपनी 253 वीं रिपोर्ट में वाणिज्यिक विवादों में तेजी लाने के लिए एक नया दृष्टिकोण सुझाया और इसलिए एक नया विधेयक प्रस्तावित किया। विधि आयोग ने वाणिज्यिक विवादों से जुड़े मध्यस्थता मामलों के लिए निम्नलिखित सिफारिशें कीं:

"3.24.4 दूसरा, एक करोड़ रुपये से अधिक के वाणिज्यिक विवाद से संबंधित घरेलू मध्यस्थता के मामले में, आवेदन या अपील या तो उच्च न्यायालय में की जा सकती है या आर्थिक क्षेत्राधिकार के आधार पर सिविल न्यायालय (उच्च न्यायालय नहीं)। यह अनुशंसा की जाती है कि ए एंड सी अधिनियम के तहत ऐसे मध्यस्थता से उत्पन्न होने वाले सभी आवेदन या अपील, जो उच्च न्यायालय के मूल पक्ष में दायर की गई हैं, उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग द्वारा सुनी जाएंगी जहां ऐसे वाणिज्यिक प्रभाग का गठन किया गया है। उच्च न्यायालय। हालाँकि, वाणिज्यिक प्रभाग के गठन की अनुपस्थिति में, उच्च न्यायालय की नियमित पीठ घरेलू मध्यस्थता से उत्पन्न होने वाले ऐसे आवेदनों या अपीलों पर सुनवाई करेगी। यदि ऐसे घरेलू मध्यस्थता में आवेदन या अपील उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है और आम तौर पर सिविल कोर्ट (उच्च न्यायालय नहीं) के समक्ष होगी और ऐसी मध्यस्थता के संबंध में क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाला एक वाणिज्यिक न्यायालय है, तो ऐसे आवेदन या अपील ऐसे वाणिज्यिक न्यायालय में दायर की जाएगी और उसकी सुनवाई की जाएगी।

तदनुसार, वाणिज्यिक न्यायालय, वाणिज्यिक प्रभाग और उच्च न्यायालयों के वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग विधेयक, 2015 को 29 अप्रैल, 2015 को राज्यसभा में पेश किया गया था जिसे कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर विभागीय संबंधित संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया था। जबकि मामला संसदीय समिति के समक्ष लंबित था, भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा 23.10.2015 को एक अध्यादेश अर्थात् वाणिज्यिक न्यायालय, वाणिज्यिक प्रभाग और उच्च न्यायालयों के वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग अध्यादेश, 2015 जारी किया गया था।

इसके बाद, वाणिज्यिक न्यायालय, वाणिज्यिक प्रभाग और उच्च न्यायालयों के वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग अधिनियम, 2015 को संसद द्वारा पारित किया गया, जिसे बाद में वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 का नाम दिया गया। उक्त अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण, अन्य बातों के साथ–साथ , निम्नानुसार प्रदान करता है:

“उच्च मूल्य वाले वाणिज्यिक विवादों के त्वरित निपटान का प्रस्ताव काफी समय से सरकार के विचाराधीन है। उच्च मूल्य वाले वाणिज्यिक विवादों में जटिल तथ्य और कानून का प्रश्न शामिल होता है। इसलिए, उनके शीघ्र समाधान के लिए एक स्वतंत्र तंत्र उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। वाणिज्यिक विवादों के शीघ्र समाधान से निवेशक जगत में स्वतंत्र और उत्तरदायी भारतीय कानूनी प्रणाली के बारे में सकारात्मक छवि बनेगी।"

उसके बाद वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 को वर्ष 2018 में संशोधित किया गया है जो 03.05.2018 से लागू हुआ है, जिसके द्वाराधारा 3 (1 ए)और 3 एको शामिल किया गया है जो राज्य सरकारों को इतनी संख्या में वाणिज्यिक अपीलीय नियुक्त करने में सक्षम बनाता है जो जिला स्तर की अदालतें जिला न्यायाधीश स्तर से नीचे की वाणिज्यिक अदालतों पर अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेंगी। इस प्रकार, अधिनियम, 2015 कीधारा 3 के तहत एक वाणिज्यिक न्यायालय स्थापित किया जा सकता है और अधिनियम, 2015 कीधारा 3 ए के तहत एक वाणिज्यिक अपीलीय न्यायालय स्थापित किया जा सकता है।

10. इस प्रकार, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के उद्देश्य और कारण वाणिज्यिक विवादों के त्वरित निपटान के लिए प्रदान करना है जिसमें मध्यस्थता कार्यवाही भी शामिल है। उक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, विधायिका ने अपने विवेक से अधिनियम, 2015 की धारा10 के अनुसार मध्यस्थता मामलों के संबंध में विशेष रूप से क्षेत्राधिकार प्रदान किया है। इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि अधिनियम, 2015 बाद का अधिनियम है समय पर और इसलिए जब अधिनियम, 2015 अधिनियमित किया गया है, विशेष रूप सेधारा 3 और 10, अधिनियम, 1996 कीधारा 2(1)(ई)में पहले से ही एक प्रावधान शामिल था। कानून की स्थापित स्थिति के अनुसार, यह है यह माना जाएगा कि अगला कानून बनाते समय विधायिका समय से पहले अधिनियम के प्रावधानों के प्रति सचेत है और इसलिए बाद वाला अधिनियम मान्य होगा। यह भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि अधिनियम, 2015 की धारा 15 के अनुसार, निर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद से संबंधित अधिनियम, 1996 के तहत आवेदनों सहित सभी मुकदमों और आवेदनों को वाणिज्यिक न्यायालय में स्थानांतरित करनाहोगा। यहां तक कि अधिनियम, 2015 कीधारा 21 के अनुसार, अधिनियम, 2015 का प्रभाव सर्वोपरि होगा। इसमें प्रावधान है कि अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, इस अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होंगे, भले ही उस समय लागू किसी भी अन्य कानून में कुछ भी असंगत हो।

11. इसलिए, अधिनियम, 2015 के पूर्वोक्त प्रावधानों और उन उद्देश्यों और कारणों को ध्यान में रखते हुए, जिनके लिए अधिनियम, 2015 अधिनियमित किया गया है और वाणिज्यिक के शीघ्र निपटान के लिए उच्च न्यायालयों में वाणिज्यिक न्यायालय, वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग की स्थापना की गई है। मध्यस्थता विवादों सहित विवाद, अधिनियम, 2015 की धारा 3 और 10 प्रबल होंगे और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के अलावा, अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मध्यस्थता से उत्पन्न होने वाले सभी आवेदन या अपीलें दायर की जाएंगी और सुनी जाएंगी और उनका निपटाराकियाजाएगा।वाणिज्यिक न्यायालय, ऐसे मध्यस्थता पर क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हैं जहां ऐसी वाणिज्यिक अदालतें गठित की गई हैं। यदि अपीलकर्ताओं की ओर से यह प्रस्तुत किया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के अलावा अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मध्यस्थता से उत्पन्न होने वाले सभी आवेदन/अपीलें किसी जिले के प्रमुख नागरिक न्यायालय के समक्ष होंगी, तो उस स्थिति में, न केवल अधिनियम, 2015 के अधिनियमन और वाणिज्यिक न्यायालयों की स्थापना के उद्देश्य और कारण विफल हो जाएंगे, यहां तक कि धारा 3, 10 और 15 भी निरर्थक और निरर्थक हो जाएंगी। यदि अपीलकर्ताओं की ओर से सबमिशन स्वीकार कर लिया जाता है, तो उस स्थिति में, हालांकि अन्य वाणिज्यिक विवादों के संबंध में, आवेदन या अपील मध्यस्थता कार्यवाही के संबंध में अधिनियम, 2015 कीधारा 3 के तहत स्थापित और गठित वाणिज्यिक अदालतों के समक्ष रखी जाएंगी। आवेदन या अपील किसी जिले के प्रमुख सिविल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी। विभिन्न वाणिज्यिक विवादों के संबंध में दो मंच नहीं हो सकते। इन परिस्थितियों में, ओडिशा राज्य द्वारा जारी अधिसूचना, उड़ीसा के उच्च न्यायालय के परामर्श से जारी की गई है ताकि मध्यस्थता से उत्पन्न होने वाले आवेदनों या अपीलों पर निर्णय लेने के लिए वाणिज्यिक न्यायालय के रूप में नामित विद्वान सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत को अधिकार क्षेत्र प्रदान किया जा सके। अधिनियम, 1996 के प्रावधानों को अवैध एवं कानून की नजर में खराब नहीं कहा जा सकता। इसके विपरीत, इसे अधिनियम, 2015 कीधारा 3 और 10 के बिल्कुल अनुरूप कहा जा सकता है। हम उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं।

12. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारणों से, ये सभी अपीलें विफल हो जाती हैं और ये खारिज किए जाने योग्य हैं और तदनुसार खारिज की जाती हैं। हालाँकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

13. मामले से अलग होने से पहले, हम इस मामले में एमिकस क्यूरी के रूप में विद्वान वकील श्री गौरव अग्रवाल द्वारा प्रदान की गई सहायता की सराहना करते हैं।

अपील खारिज किया जाता है।

(शत्रुंजय कुमार सिंह)